

पत्रक
(नियम 13)

[General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मनमरी देवी पुत्री भोला पत्नि मघाराम जाति चेजारा निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	-बनाम-	रामकरण पुत्र भोला जाति चेजारा निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. ५०००/2025 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------------

07.01.25 आज यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार शर्मा ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/1/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

27/1/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय ने अनादेशक ले.। श्री ओम एन शर्मा को पत्रावली पेश करने के लिए 28/1/25 को पेश करने का आदेश दिया।

28/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उम्रमपन्न उपाध्याय पत्रावली में संवेदिन मूल काद का बयान दोषगर्भ, विभाजन व स्वामी निषेधाज्ञा है। जिस पर वकील प्रतिवादी ने अपनी सहमति मूल काद में आडेमिका पर नाहित की है। अतः आदेश पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली उसी तार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फिलहाल सुमाट होकर उर्वर नवंबर से कम हो तबका बाद तलबी रजिस्टर डबता है।

ए. सी. ई. एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

